न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 301 / 2022
जीसीएमएस नं. :– 2022 / 429

प्रार्थी :–
नाथुराम पुत्र मुगनाराम जाति बावरी निवासी खारिया खंगार तहसील पीपाड़ शहर

बनाम

अप्रार्थी :–
तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :
श्री मन्सुर अली छीपा अधिवक्ता प्रार्थी।
तहसीलदार पीपाड़ शहर, सरकारी पैरोकार।

दर्ज तारीख :– 05.12.2022

आदेश

दिनांक : 03.05.2023

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम देवनगर पटवार हल्का खारिया खंगार, भू अभिलेख निरीक्षक खारिया खंगार तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1127 रकबा 1.1574 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नं. 1128 रकबा 1.2464 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कुल खसरे 2 कुल रकबा 2.4038 हैक्टयर भूमि आई हुई हैं जो राजस्व रेकर्ड के खाता सं. नया 408 व खाता सं. पुराना 298 पर इन्द्राजसुदा हैं जिसमें प्रार्थी का 1/3 वॉ हक हिस्सा निहित हैं इसी प्रकार ग्राम देवनगर की राजस्व सीमा में खसरा संख्या 1123 रकबा 2.9947 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ भूमि आई हुई जो राजस्व रेकर्ड के खाता संख्या नया 352 व पुराना 295 पर इन्द्राजसुदा हैं। जिसमें प्रार्थी का 1/2 वा हक हिस्सा निहित हैं। उक्त भूमियों को आगे प्रार्थना–पत्र में वादग्रस्त आराजीयों के नाम से सम्बोधित किया जाएगा। प्रार्थी का नाम पेन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेजों में नाम नाथूराम पुत्र मुगनाराम दर्ज हैं जबकि प्रार्थी के नाम ग्राम देवनगर में स्थित भूमियों में नाम नाथाराम पुत्र मंगनाराम दर्ज हैं। नाथाराम व नाथूराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। प्रार्थी को बोलचाल की भाषा में नाथाराम कहे जाने से इनके नाम से जो भूमिया दर्ज हुई है उक्त भूमियों में नाथाराम नाम दर्ज हो गया जबकि पेन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, व अन्य सरकारी दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम नाथूराम पुत्र मुगनाराम दर्ज हैं। प्रार्थी नाथूराम पुत्र मुगनाराम अपने नाम की राजस्व रेकर्ड में जो इन्द्राज में त्रूटि हुई हैं उस त्रूटि को दुरूस्त करवाना चाहता हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद सं. 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

1127, 1128, तथा 1123 मे रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर नाथाराम पुत्र मंगनाराम के स्थान पर प्रार्थी का नाम नाथूराम पुत्र मुगनाराम दर्ज किया जाने का आदेश फरमावें। अन्य अनुतोष हित प्रार्थी के पक्ष में अता फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम देवनगर के खसरा नम्बर 1127, 1128, व 1123 मे नाथाराम के स्थान पर नाथूराम किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपत्ति नही हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जाकर जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम देवनगर के खसरा नम्बर 1127, 1128 तथा 1123 मे रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर नाथाराम पुत्र मंगनाराम के स्थान पर प्रार्थी का नाम नाथूराम पुत्र मंगनाराम दर्ज किया जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया है। इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने अपनी बहस मे उक्त दुरूस्ती बाबत् अनापती जाहिर की है। उक्त दुरूस्ती की जाती है कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया, जवाब अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम देवनगर के खसरा नम्बर 1127, 1128, व 1123 मे दर्ज नाम नाथाराम पुत्र मंगनाराम के स्थान पर नाथूराम पुत्र मंगनाराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करें।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 03.05.2023 को सर–ए–इजलास में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर